



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-2460/2026

अरविंद कुमार सिंह

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: घनश्याम दास मिश्रा, उमेश पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री जी.डी. मिश्रा, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री गौरव सिंह, राज्य के विद्वान स्थाया अधिवक्ता को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें 31.07.2025 को सेवानिवृत्त हुए संग्रह अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्हें पेंसन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण सहित पोस्ट रिटायरल लाभ, एलआईसी, जीपीएफ ब्याज सहित का भुगतान का भुगतान नहीं किया गया।
3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय पाचवें प्रतिवादी, उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, सदर, वाराणसी द्वारा किया जाएगा।
4. न्यायालय के पास इस प्रकार की गई प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता को पांचवें प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का निर्देश देने का निर्णय लिया गया है, उप संभागीय मजिस्ट्रेट, सदर, वाराणसी 27.02.2026 तक, इसके बाद, तीसरा प्रतिवादी तीन महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

राजेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”